राजस्थान सरकार

कोरोना
अतिआवश्यक

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/ 16349

दिनांक 22.11.2020

—: आदेश :—

जोधपुर जिले में कोविड–19 के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2020 एवं इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक आपदा प्रबंधन/2020/16115 दिनांक 03 नवम्बर, 2020 में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नांकित गाईडलाईन्स जारी की जाती है:–

समारोह आयोजन (Gatherings):–

A. यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिणक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक/जन कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ आवेदन किया जाता है तो जोधपुर नगर–निगम उत्तर/दक्षिण क्षेत्र में नगर निगम के संबंधित उपायुक्त तथा शेष जिला क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिये निम्न शर्तो के अध्यधीन अनुमति प्रदान कर सकेंगे:–

आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि:--

1. आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
2. सामाजिक दूरी (Socila Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
3. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। " **नो–मास्क नो– एंट्री**" की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी: प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे।
5. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार–बार सफाई की जायगी।

रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew):–

B. जोधपुर महानगर क्षेत्र, जिसमें जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण, पाल गांव, सांगरिया, झालामंड, खारड़ा रणधीर, बासनी बेंदा, उचियारड़ा, नांदड़ा कलां, नांदड़ा खुर्द, श्रीयादे गांव, नांदड़ी, बनाड़, गुजरावास, आंगनवा, खोखरिया, सुरपुरा, दईजर, चौखा, धींगाणों की ढ़ाणी, गांव कुड़ी भगतासनी की राजस्व ग्राम की सीमाएँ सम्मिलित हैं, में रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे में रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 07 बजे बंद कर दिये जाये ताकि सम्बन्धित स्टॉफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 08:00 बजे तक अपने घर पहुंच जाये, जब तक कि इस हेतु जिला कलक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

यह गाईडलाईन्स निम्नांकित पर लागू नहीं होगी:--

1. वे फैक्ट्रियाँ, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा है।
2. वे फैक्ट्रियाँ, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
3. आई.टी कम्पनियां।
4. कैमिस्ट शॉप।
5. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
6. विवाह सम्बन्धी समारोह।
7. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
8. बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
9. मीडिया/प्रेस से संबंधित कार्यस्थल

इस हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्य स्थल पर उपस्थिति

C. जोधपुर जिले नगर–निगम क्षेत्र में स्थित सभी कार्यस्थलो पर (राजकीय, स्वायत्त शासी, निजी कार्यालय इत्यादि) जहां कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है, 75 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं 25 प्रतिशत कार्मिक Work From home करेंगे।

यह गाईडलाईन्स जिला प्रशासन, पुलिस, नगर–निगम, अस्पताल, एवं चिकित्सा संबंधी संस्थापन एवं अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगी।

D. मेडिकल महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय 01 दिसम्बर, 2020 से खोले जायेगे। इसके लिय पृथक से गाईडलाईन्स जारी की जायेंगी।

उपरोक्त वर्णित आदेशों की क्रियान्विति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2005 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कराई जायेगी।

अन्य सभी गाईडलाईन्स और दिशा–निर्देश राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 01 नवम्बर, 2020 (प्रति संलग्न) के अनुरुप प्रभावी रहेंगे।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/16350-424 दिनांक 22.11.2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/आसूचना/पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय, जोधपुर
3. आयुक्त/समस्त उपायुक्त नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)/जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
4. अपर जिला कलक्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहर–प्रथम, जोधपुर/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर/ प्रोटोकॉल अधिकारी, जोधपुर/जिला रसद अधिकारी, शहर, जोधपुर।
5. समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डार/उपखण्ड अधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त विकास अधिकारी/समस्त थानाधिकारी जिला जोधपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/प्राचार्य डॉ.एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जोधपुर।
8. निजी सहायक, गोपनीय शाखा, जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर/रक्षित पत्रावली।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
एवं अति.जिला कलक्टर
जोधपुर